20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE R

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

594

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग -3406-I-16

प्रकरण क्रमांक /२०१६ निगरानी

बाबूराम मृत वारिसान राजकुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम उम्मरी, तेहसील व जिला भिण्ड-म०प्र० ।

------- प्रार्थी

दिनाँक 30-9-16 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत/ 30-9-16

116 / 30-9-16

बिरुध्द

१- संजू पुत्र जयराम सिंह यादव, निवासी ग्राम उम्मरी तेहसील व जिला भिण्ड-म०प्र० ।

२- वेनीराम पुत्र लेखे, निवासी ग्राम उम्मरी, तेहसील व जिला भिण्ड-म०प्र० ।

----- प्रतिप्रार्थीगण

... 3010196

निगरानी बिरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय, भिन्ड दिनांक १४-०६-१६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १६५६ । प्र०क्र० ५६/११-१२ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आदेश पत्रिका दिनांकी १५-०६-१६ से २१-०८-१६ तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रार्थी की साक्ष्य उपस्थित होते हुये भी साक्ष्य की कार्यवाही नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को साक्ष्य हेतु कई अवसर देने एवं साक्ष्य पेश न करने के आधार पर प्रार्थी के साक्ष्य के अवसर को समाप्त किये जाने का आदेश अभिलेख एवं प्रकरण की परिस्थितियों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

504

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3406-एक/16 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. **अवस्थी** उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप **अब** नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के **समक्ष** उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	